मुख्यमंत्री बाल संरक्षण छत्र योजना के अन्य तथ्य:

1. परवरिश योजना

1.1 **उद्देश्य:** यह राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा बच्चों के देखरेख एवं संरक्षण के गैर–सांस्थानिक कार्यक्रम के अन्तर्गत अनाथ एवं बेसहारा बच्चों, दुःसाध्य रोग से पीड़ित/एच.आई.वी./एड्स एवं कुष्ठ रोग से पीड़ित बच्चों एवं इन रोगों के कारण दिव्यांगता के शिकार माता–पिता के संतान के बेहतर पालन–पोषण एवं उनके गैर–सांस्थानिक देखरेख को प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाता है।

1.2 **लक्षित समूह एवं पात्रता/अर्हता:** 0–18 वर्ष आयु वर्ग के निम्न श्रेणी के बच्चे इस योजना के लाभ के पात्र होंगे:

(i) (क) अनाथ एवं बेसहारा बच्चे अथवा (ख) अनाथ बच्चे जो अपने निकटतम संबंधी अथवा नाते रिश्तेदार के साथ रह रहे हैं, जिनकी वार्षिक आय रू. 60,000 से कम हो अथवा गरीबी रेखा के अधीन हो।

(ii) वैसे बच्चे भी अनाथ एवं बेसहारा माने जायेंगे, जिनके माता एवं पिता की या तो मृत्यु हो गयी हो या मानसिक दिव्यांगता या कारावास में बंदी होने के कारण, अथवा किसी अन्य न्यायिक आदेश से वे अपने बच्चे की परवरिश करने में असमर्थ हों परन्तु ऐसी बाध्यकारी परिस्थिति के समाप्त हो जाने पर उनकी पात्रता भी स्वतः समाप्त हो जाएगी।

(iii) एच.आई.वी.(+)/एड्स/Visible deformities grade-II के कुष्ठ रोग से पीड़ित बच्चे अथवा इन रोगों से पीड़ित माता/पिता की संतानें।

1.3 **अनुदान की राशि:** इस योजना के अन्तर्गत चयनित बच्चों को पालन–पोषण हेतु अनुदान राशि रू. 1,000 प्रतिमाह देय होगा। योजना का लाभ प्रतिमाह लाभुकों एवं अभिभावक के नाम से खोले गये संयुक्त बचत खाता में सीधे हस्तनांतरित किया जाएगा।

1.4 **योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक:**

I- अनाथ एवं बेसहारा बच्चे अथवा अनाथ बच्चे की स्थिति में बच्चे के पालक परिवार का मुख्य व्यक्ति।

II- स्वयं एच.आई.वी.(+)/ एड्स/ कुष्ठ रोग से पीड़ित बच्चे एवं एच.आई.वी.(+)/ एड्स पीड़ित माता/पिता अथवा कुष्ठ रोग grade-II से पीड़ित माता/पिता की स्थिति में बच्चे के माता या पिता।

1.5 **लाभुकों के चयन की प्रक्रिया:**

I- इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन–पत्र सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय/समेकित बाल विकास परियोजना के कार्यालय/आँगनबाड़ी केन्द्रों से निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। आवेदन–पत्र समाज कल्याण विभाग के वेबसाइटः www.socialwelfare.bih.nic.in पर भी उपलब्ध है।

II- आवेदक विहित प्रपत्र में आवेदन–पत्र भरकर एवं आवश्यक कागजात संलग्न कर संबंधित क्षेत्र की आँगनबाड़ी सेविका को उपलब्ध करायेंगे। एच.आई.वी.(+)/ एड्स से पीड़ित बच्चे एवं एच.आई.वी.(+)/ एड्स से पीड़ित माता/पिता के मामले में आवेदक अपना आवेदन विहित प्रपत्र में आवश्यक कागजात संलग्न कर समेकित बाल विकास परियोजना के कार्यालय में जमा करेंगे। इसकी जाँच बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को स्वयं करनी है। इस मामले में आँगनबाड़ी सेविका का मंतव्य आवश्यक नही है। आवेदन–पत्र की प्राप्ति रसीद आँगनबाड़ी सेविका/बाल विकास परियोजना कार्यालय से प्राप्त करेंगे।

III- आँगनबाड़ी सेविका, आवेदक द्वारा आवेदन देने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर जाँचोपरांत अपने मंतव्य के साथ कि "प्राप्त आवेदन में अंकित सूचनाएँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं जाँच के अनुरूप सही है/नहीं है तथा आवेदक परवरिश योजना का लाभ पाने की अर्हता रखता है/नहीं रखता है", बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा करेगी। आँगनबाड़ी सेविकाओं को इस कार्य हेतु 50 (पचास) रूपये प्रति लाभुक की दर से प्रोत्साहन राशि के रूप में भुगतान किया जाएगा, जो कि 1 (एक) प्रतिशत प्रशासनिक मद में सम्मिलित होगा।

IV- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी आवेदन–पत्र एक सप्ताह के भीतर अनुमंडल पदाधिकारी को स्वीकृत्यादेश प्राप्ति हेतु अग्रसारित करेंगे। अनुमण्डल पदाधिकारी स्वीकृत्यादेश प्रपत्र–II (आवेदन–पत्र सहित) का अग्रसारण सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई को करेंगे।

1.6 **भुगतान की प्रक्रिया:** स्वीकृति आदेश के आलोक में सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से लाभुकों के खाता विवरणी प्राप्त कर, लाभार्थी एवं अभिभावक के संयुक्त खाते में राशि का अंतरण सुनिश्चित करेंगे।

1.7 **योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण:** इस योजना का अनुश्रवण जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित जिला बाल संरक्षण समिति की त्रैमासिक बैठक, सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई तथा मुख्यालय स्तर पर निदेशक, समाज कल्याण–सह–उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति के स्तर से जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारियों के साथ मासिक समीक्षा बैठक में कार्यक्रम घटकों के संचालन की प्रगति की समीक्षा की जाती है।

1.8 **अनुदान का नवीकरण:** इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी की आरंभिक अनुदान स्वीकृति मात्र 12 माह के लिए होगी, परन्तु बच्चे की आयु 18 वर्ष होने तक इसका प्रत्येक वर्ष स्वतः नवीकरण हो सकेगा, बशर्ते की कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त न हो।

1.9 **आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करने वाले दस्तावेज:**

I- बी.पी.एल. की प्रकाशित सूची के संगत अंश की छायाप्रति। यदि आवेदक का बी.पी.एल. सूची में नाम ना हो तो सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत आय प्रमाण–पत्र की छायाप्रति (जिन मामलों में बी.पी.एल. या आयु सीमा आवश्यक न हो को छोड़कर)।

II- अनाथ बच्चे की स्थिति में माता एवं पिता का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण–पत्र (यदि माता या पिता का मृत्यु प्रमाण–पत्र न हो तो संबंधित पंचायत का मुखिया एवं शहरी क्षेत्रों के लिए संबंधित वार्डों के वार्ड पार्षद द्वारा इस आशय का निर्गत प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

III- लाभुक का जन्म प्रमाण–पत्र। यदि बच्चा पूर्व से ही विद्यालय में नामांकित हैं तो संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

IV- कुष्ठ रोग से पीड़ित माता–पिता की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत grade-II का प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

V- एच.आई.वी.(+)/ एड्स से पीड़ित बच्चे एवं एच.आई.वी.(+)/ एड्स से पीड़ित माता/पिता की स्थिति में ए. आर. टी. रिकॉर्ड कार्ड मान्य होगा।

VI- यदि पूर्व से राष्ट्रीयकृत बैंक में संयुक्त खाताधारक हैं तो बैंक पासबुक की छायाप्रति।

VII- अनाथ एवं बेसहारा बच्चे की स्थिति में सक्षम प्राधिकार (बाल कल्याण समिति) द्वारा जारी आदेश/प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।